भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारां कत प्रश्न संख्या **2617**

(मंगलवार**, 11** अगस्त**, 2026/20** श्रावण**, 1948 (**शक) को उत्तर के लए)

जीरो कूपन जीरो प्रं सपल इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से सीएसआर

2617 श्री कणाद पुरकायस्थः

श्रीमती लक्ष्मी वर्माः

क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कः

(क) ज़ीरो कूपन ज़ीरो प्रं सपल इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) को आसान बनाने के लए कंपनी अ धनियम**, 2013** की अनुसूची **VII** में कए गए संशोधनों की मुख्य वशेषताएं क्या हैं**;**

(ख) ज़ीरो कूपन ज़ीरो प्रं सपल इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से सीएसआर के कार्यान्वयन हेतु निर्धारित रूपरेखा क्या है**;**

(ग) ज़ीरो कूपन ज़ीरो प्रं सपल इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से सीएसआर के कार्यान्वयन के लए कंपनी सीएसआर नियम**, 2014** में कए गए संशोधनों का ब्यौरा क्या है**;** और

(घ) ज़ीरो कूपन ज़ीरो प्रं सपल इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से सीएसआर पर कंपनियों द्वारा कए जाने वाले व्यय के संबंध में निर्धारित सीमाओं का ब्यौरा क्या है**?**

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) से (घ)**:** मंत्रालय ने दिनांक **27.05.2026** की अ धसूचना के माध्यम से कंपनी अ धनियम**, 2013 (**'अ धनियम') की अनुसूची **VII** का दायरा वस्तृत करते हुए नई मद संख्या **(xiii)** अर्थात् **"**सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज पर ज़ीरो कूपन ज़ीरो प्रं सपल (जेडसीजेडपी) इंस्ट्रूमेंटों में अ भदाय को शा मल कया है। सीएसआर के माध्यम से जेडसीजेडपी ढाँचे की वशेषताएँ निम्नानुसार हैं**:**

(i) संबं धत जेडसीजेडपी लखत में व र्णत गति व धयाँ कंपनी अ धनियम**, 2013** की अनुसूची **VII** में उल्लि खत गति व धयों के अनुरूप होनी चाहिए।

(ii) सीएसआर अ धदे शत कंपनी उस वत्तीय वर्ष के कुल सीएसआर व्यय के दस प्रतिशत से अ धक रा श के लए जेडसीजेडपी लखत में अ भदाय नहीं करेगी।

(iii) ज़ीरो कूपन ज़ीरो प्रं सपल इंस्ट्रूमेंट जारी करने वाला और उससे धनरा श जुटाने वाला गैर-लाभकारी संगठन—

- ऐसी ज़ीरो कूपन ज़ीरो प्रं सपल इंस्ट्रूमेंट के निर्गम से आगामी तीन वत्तीय वर्षों से अन धक की अव ध वाली कोई परियोजना संचा लत करेगा**;** और
- ऐसी ज़ीरो कूपन ज़ीरो प्रं सपल इंस्ट्रूमेंट की सूचीबद्धता समाप्त होने पर**,** अव्ययित रा श को अ धनियम की अनुसूची **VII** में शा मल कसी नि ध में अंतरित करेगा।

(iv) जेडसीजेडपी लखत में अ भदाय करने वाली कंपनी को ऐसे लखत के माध्यम से वत्तपो षत कसी भी परियोजना का प्रभाव आकलन करने से छूट दी जाएगी।

(v) कंपनी के निदेशक मंडल को जेडसीजेडपी लखत के माध्यम से वत्तपो षत परियोजना की निगरानी करना आवश्यक नहीं होगा।

(vi) ऐसी परियोजना की अनुपालन रिपोर्ट**,** अर्थात् धनरा श के उपयोग और सामाजिक प्रभाव आकलन से संबं धत रिपोर्ट**,** गैर-लाभकारी संगठन द्वारा तैयार की जाएगी और सेबी द्वारा इसकी निगरानी की जाएगी।

यह संशोधन कंपनियों के लए अनुपालन में काफी हद तक सुगमता प्रदान करने के उद्देश्य से कया गया है और इससे गैर-लाभकारी संगठनों को जनकल्याणकारी परियोजनाओं के लए पारदर्शी और वनिय मत तरीके से धनरा श जुटाने में भी सहायता मलेगी।
